दुकान नं0 3 की बोली के नियम व शर्ते

1 बोलीदाताओ को बोली आरम्भ करने से पहले जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा के नाम से मु0 25,000/—रूपये का बैंक ड्राफट धरोहर केरूप मे इस कार्यालय मे जमा करवाने होंगे बोली दिनांक 03—06—2019 को प्रातः 10—00 बजे बाल भवन मे होगी।

2 दुकान की मासिक लाइसैंस फीस मु0 रू0 6500/— छः हजार पांच सौ रूपये होगी।

3 बोली सबसे अधिक रिफण्डेबल सिक्योरिटी देने वाले के नाम छोडी जावेगी। सिक्योरिटी की न्यूनतम बोली मु0 500000/—रूपये से शुरू की जावेगी। सम्बन्धित दुकान अधिकतम रिफण्डेबल सिक्योरिटी की बोली देने वाले को दी जावेगी।

4 सफल बोलीदाता द्वारा रिफण्डेबल सिक्योरिटी के बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करवाई जावेगी तथा शेष राशि 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निश्चित अवधि मे राशि जमा करवाने मे असफल होने पर बोलीदाता द्वारा कार्यालय मे धरोहर राशि के रूप मे जमा करवाई गई राशि मु0 25000/—रूपये जब्त कर ली जाएगी।

5 बोलीदाता द्वारा दी गई बोली का अन्तिम निर्णय माननीय उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को स्वीकृति उपरांत ही मान्य होगा। दुकान का कब्जा देने की तिथि से किराया शुरू होगा।

6 सफल बोलीदाता को दुकान का कब्जा लेने से पहले एक लाईसैंस डीड सम्पन्न करनी होगी। जिसका समस्त हर्जा—खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।

7 जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को बिना कोई कारण बताए बोली की तिथि, समय व स्थान बदलने व रदद करने का अधिकार होगा।

8 किसी भी प्रकार के विवाद मे उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

9 दुकान की लाईसैंस डीड की अवधि 3 वर्ष की होगी।

10 सफल बोलीदाता को दुकान की मासिक फीस प्रत्येक माह की सात तारीख तक स्वयं जमा करवानी होगी। देरी की सूरत मे मु0 5/—रूपये प्रतिदिन के हिसाब अतिरिक्त फीस अदा करनी होगी।

Distt. Child Welfare Officer,
Sirsa

11 सफल बोलीदाता को दुकान सहमति पत्र लाईसैंस डीड पर लेने से पूर्व अपने स्थाई रिहायशी प्रमाण–पत्र के सबूत के कागजात कार्यालय मे जमा करवाने अनिवार्य होगे

12 सफल बोलीदाता को अपनी दुकान किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलैट करने का अधिकार नही होगा।

13 सफल बोलीदाता को दुकान मे अपने स्तर पर कोई तोड–फोड, बदलाव, निर्माण व अनैतिक कार्य/व्यापार करने का अधिकार नही होगा।

14 सफल बोलीदाता बिजली का कनेक्शन अपने स्तर पर अपने नाम से लेकर बिल का स्वयं भुगतान करेगा।

15 सफल बोलीदाता को सहमति/अनुमति पत्र लाईसैंस डीड की अवधि तीन वर्ष की समाप्ति होने के पश्चात दुकान को सही हालत मे जिला बाल कल्याण परिषद को सुपुर्द करवायेगा।

16 सफल बोलीदाता को भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी टैक्स तथा सभी बिलो का भुगतान स्वयं करना अनिवार्य होगा।

17 सफल बोलीदाता को केवल दुकान के ग्रांउड फलोर पर प्रयोग करने का अधिकार होगा । दुकान की छत को इस्तेमाल करने का कोई हक नही होगा। जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा दुकान की छत पर प्रथम मंजिल के निर्माण कार्य करने मे स्वतंत्र होगी। इस पर दुकानदार को कोई आपत्ति नही होगी।च

18 बोली के दौरान कोई भी बोलीदाता नकद राशि 25000/–पच्चीस हजार रूपये धरोहर के रूप मे देकर बोली दे सकता है।

19 अगर सफल बोलीदाता सिक्योरिटी राशि जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो दूसरे नम्बर पर बोली देने वाले को दुकान लाईसैंस फीस पर दी जावेगी ।

Pawan

Distt. Child Welfare Officer
SIRSA.